



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र, 1948 (श०)

संख्या - 462 राँची, गुरुवार,

3 सितम्बर, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

17 अगस्त, 2026

संख्या-04/प्रोन्नति-03-01/2018 का. 5349--श्री मनमोहन प्रसाद, तत्कालीन झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 691A/03) सम्प्रति सेवानिवृत्त भा०प्र०से० ने WP(S) No. 181/2016 में दिनांक 28.11.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में उनके कनीय पदाधिकारी को प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से उन्हें भी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि तथा अन्य उच्चतर पदों पर प्रोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

2. उल्लेखनीय है कि श्री मनमोहन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची के विरुद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एक्ट में लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता बरतने तथा अधीनस्थ कर्मियों के माध्यम से नाजायज राशि की वसूली करने के कारण श्री तापस सोरेन द्वारा आत्मदाह किये जाने संबंधी आरोप के कारण इनके विरुद्ध माण्डू (चुरचू) थाना काण्ड सं० 251/08 दिनांक 03.07.2008 दर्ज था, जो बाद में विशेष निगरानी न्यायालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के केस सं० 13/08 के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें इनके विरुद्ध विधि विभाग के आदेश सं० 02/जे० दिनांक 06.02.2009 द्वारा अभियोजन स्वीकृत था। विशेष न्यायाधीश (ए०सी०बी०),

हजारीबाग द्वारा दिनांक 19.03.2021 को पारित न्यायादेश में श्री प्रसाद को बरी कर दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

'in the result, for the foregoing discussion, I come to the finding that the prosecution has eompletely failed to prove its case against the accused persons beyond reasonable doubt and therefore, they are found not guilty for the same and acquitted thereof. They and their sureties are discharged from the liability of their bail bonds. The accused persons are set at liberty."

3. उपरोक्त मामले में उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय आदेश संख्या 4040 दिनांक 03.07.2008 द्वारा श्री प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तदोपरांत विभागीय आदेश संख्या 5434 दिनांक 09.09.2010 द्वारा श्री प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया। साथ ही निलंबन अवधि के संबंध में इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल एवं दर्ज कांड में पारित न्यायादेश के आलोक में अलग से निर्णय लेने पर विचार किया गया।

4. उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प संख्या 2776 दिनांक 28.04.2009 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प सं० 13920 दिनांक 20.12.2012 द्वारा उन्हें तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

5. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री प्रसाद द्वारा किये गये अपील पर समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं० 13920 दिनांक 20.12.2012 को विलोपित करते हुए विभागीय संकल्प सं० 4280 दिनांक 13.05. 2015 द्वारा श्री प्रसाद को तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. WP(S) No. 181/2016 मनमोहन प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2019 को पारित न्यायादेश में श्री प्रसाद के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड संबंधी आदेश को रद्द कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2019 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

"As a sequel of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements, it is crystal clear that without application of mind, the order of punishment has been inflicted. The respondents, while inflicting punishment of withholding of three increments without cumulative effect has not taken into consideration the findings of the Enquiry Officer, who exonerated the petitioner from the charges. No man should be put twice in parity for same offence meaning thereby person, who has been previously acquitted on the same charge on which he is being prosecuted earlier, he would not be punished twice and as such, impugned order dated 13-05-2015 contained in Memo No. 4280 and Resolution dated 20-10-2012 contained

in Memo No. 13920 are liable to be quashed and set aside and are hereby, quashed and set aside.

As a result of the quashment of the impugned orders, the petitioner is entitled for all the consequential benefits. Accordingly, writ petition stands allowed."

7. WP(S) No. 181/2016 में दिनांक 28.11.2019 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में LPA No. 144/2020 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मनमोहन प्रसाद दायर किया गया।

-श्री प्रसाद ने WP(S) No. 181/2016 में दिनांक 28.11.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में Cont. (Civil) Case No. 609/2021 दायर किया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है।

-विभाग द्वारा दायर LPA No. 144/2020 को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2025 को पारित न्यायादेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया।

-LPA No. 144/2020 में दिनांक 26.06.2025 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP (Diary) No. 54613/2025 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम मनमोहन प्रसाद दायर किया गया, जिसे दिनांक 27.02.2026 को पारित न्यायादेश द्वारा निरस्त कर दिया गया।

8. विभाग द्वारा दायर SLP निरस्त हो जाने के उपरांत WP(S) No. 181/2016 में दिनांक 28.11.2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प संख्या 13920, दिनांक 20.12.2012 तथा संकल्प संख्या 4280, दिनांक 13.05.2015 के द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड को विभागीय संकल्प संख्या 1861 दिनांक 25.03.2026 द्वारा विलोपित किया गया।

9. तदोपरांत WP(S) No. 181/2016 में दिनांक 28.11.2019 को पारित न्यायादेश में वर्णित अनुवर्ती लाभ (Consequential benefits) के संबंध में विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श प्राप्त करते हुए विभागीय तार्किक आदेश जापांक 4164 दिनांक 23.06.2026 पारित किया गया।

10. उक्त के क्रम में Cont. (Civil) Case No. 609/2021 में दिनांक 08.07.2026 को पारित अंतरिम आदेश तथा विभागीय तार्किक आदेश जापांक 4164 दिनांक 23.06.2026 की कंडिका- 14 के आलोक में कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिसूचना सं० 4651 दिनांक 20.07.2026 द्वारा श्री प्रसाद के निलबन अवधि, दिनांक 03.07.2008 से 09.09.2010 तक, को पूरे वेतन एवं भत्ते सहित सभी परियोजनार्थ कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया गया।

11. Cont. (Civil) Case No. 609/2021 में दिनांक 08.07.2026 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में उपरोक्त तार्किक आदेश की कंडिका- 15 के आलोक में श्री प्रसाद का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि तथा अन्य उच्चतर पदों पर प्रोन्नति के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है :-

(i) झा०प्र०से० के मूल कोटि के पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 19.10.2009 को आहूत बैठक में श्री मनमोहन प्रसाद से संबंधित निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफा में रखा गया।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति की उपरोक्त बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में श्री प्रसाद से कनीय श्री नुरुल होदा, झांप्रंसे० (कोटि क्रमांक 691B/03) को विभागीय अधिसूचना संख्या 6961 दिनांक 22.10.2009 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है।

(iii) दिनांक 24.12.2020 को आहूत बैठक में समिति द्वारा अनुशंसा की गई है कि “माण्डू (चरही) थाना कांड सं० 251/2008 में आरोप पत्र दायर होने की सम्पुष्टि कर ली जाय, अन्यथा प्रोन्नति के योग्य”। इस बैठक में समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3539 दिनांक 08.06.2022 द्वारा श्री प्रसाद को दिनांक 24.12.2020 के प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान किया गया।

(iv) वर्ष 2021 के रिक्ति के विरुद्ध श्री प्रसाद को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० 14015/10/2022-AIS-I-B दिनांक 12.10.2022 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति प्रदान की गई।

(v) श्री प्रसाद दिनांक 31.07.2025 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

12. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले /आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफ में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

13. माण्डू (चुरचू) थाना काण्ड सं० 251/08 दिनांक 03.07.2008, विशेष वाद सं० 13/08 में माननीय विशेष न्यायाधीश (भ०नि० ब्यूरो), हजारीबाग द्वारा दिनांक 19.03.2021 को पारित न्यायादेश में श्री प्रसाद को आरोप मुक्त कर दिया गया है। तदोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 6680 दिनांक 27.06.2022 द्वारा इनका नाम आपराधिक सूची से विलोपित किया गया है।

14. उपरोक्त मामले में श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प सं० 13920 दिनांक 20.12.2012 तथा विभागीय संकल्प सं० 4280 दिनांक 13.05.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को विभागीय संकल्प संख्या 1861, दिनांक 25.03.2026 द्वारा विलोपित किया गया है।

15. अतएव विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 में निर्धारित उपरोक्त प्रावधान के आलोक में श्री प्रसाद की प्रोन्नति से संबंधित मुहरबंद लिफाफा खोला गया। विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 19.10.2009 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्री मनमोहन प्रसाद, तत्कालीन झांप्रंसे० के संबंध में 'योग्य' की अनुशंसा की गई है।

16. श्री मनमोहन प्रसाद, तत्कालीन झांप्रंसे० (कोटि क्रमांक 691A/2003) से कनीय श्री नुरुल होदा, झांप्रंसे० (कोटि क्रमांक 691B/03) को विभागीय अधिसूचना संख्या 6961 दिनांक 22.10.2009 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गई है।

17. श्री प्रसाद से कनीय श्री नुरुल होदा, झा०प्र०से० को विभागीय अधिसूचना संख्या 7742 दिनांक 26.08.2013 द्वारा अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में तथा श्री प्रसाद से कनीय श्रीमती कुमुद सहाय, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 694/03) को विभागीय अधिसूचना संख्या 5647 दिनांक 27.07.2018 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

18. भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम 74 का प्रावधान निम्नवत है :-

- झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58(क) के अनुसार इन नियमों में खासतौर पर रखे गये अपवादों ओर इस नियम के खण्ड (ख) के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक अपने पद से वेतन एवं भत्ते उस तारीख से लेना शुरू करेगा, जिस तारीख को वह अपने पद का कार्य-ग्रहण करे, और ज्यों ही वह उन कार्यों का सम्पादन बंद कर दे, त्योंही वह उसे लेना बंद कर देगा।

- बिहार वित्त नियमावली के नियम 74 के अनुसार वेतन पुनरीक्षण या सरकारी सेवकों को रियायतें मंजूर करने में सक्षम प्राधिकारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक खास परिस्थिति न हो, तबतक सरकार विशेष अनुमोदन के बिना वित्तीय मंजूरी को भूतलक्षी प्रभाव न दिया जाय ।

19. अतः श्री मनमोहन प्रसाद, तत्कालीन झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 691A/03) को उनसे कनीय पदाधिकारियों को प्रदान की गई प्रोन्नति के अनुसार निम्न पदों पर भूतलक्षी प्रभाव से निम्नवत वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

(i) दिनांक 22.10.2009 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति ।

(ii) दिनांक 26.08.2013 के भूतलक्षी प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति ।

(iii) दिनांक 27.07.2018 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति ।

- झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में श्री प्रसाद को वैचारिक प्रोन्नति की अवधि के लिए बकाया वेतन अनुमान्य नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
